		में जारी हुए
23/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दौरे में है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/02/24 को पेश हो।	
29/02/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दौरे में है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/6/24 को पेश हो।	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दौरे मे है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/9/24 को पेश हो।	
12/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दौरे मे है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।	
19/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र 09 R9 में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थीगण द्वारा पेश फर्द दस्तावेज शा०फा० किये। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 09 R9 हेतु दि. 26/12/24 को पेश हो। 19/12/24	
26/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रशासनिक व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० फा० दिनांक 02/01/2025 को पेश हो। 26/12/24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र 09 R9 cpc के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभि० प्रार्थी/वादी द्वारा बहस प्रा० पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/वादी के विरुद्ध राजस्व शिविर-2016 के दौरान दिनांक 24/5/2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी जबकि राजस्व शिविर मे केवल आपसी सहमति योग्य यानी राजीनामा योग्य प्रकरणो को ही रखा जा सकता है। उभय पक्ष की सहमति के बिना उनकी मर्जी के विरुद्ध किसी प्रकरण को राजस्व शिविर मे रख कर किसी पक्ष की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय आदेश पारित करना पूर्णत: विधि विरुद्ध है। राजस्व शिविर कैम्पस्थल संभली खास मे उपस्थिति हेतु प्रार्थी/वादी को जो नोटिस कोर्ट ने दिनांक 16/5/2016 को जारी किये थे - उनकी तामील वादी व अन्य वादी पन्नालाल (पिता) को नहीं की जाकर किसी "विनोद" नाम के व्यक्ति को की गई। "विनोद" को वादी व उसके पिता पन्नालाल के नोटिस की तामील क्यों की गई - इसका कारण भी Notice/summon पर mention नहीं है। विनोद कौन है - यह भी mention नहीं है। यह तामील आदेश 5 नियम 9 से 10 cpc के [illegible] विरुद्ध था। राजस्व [illegible] शिविर या प्रशासन [illegible] के [illegible] मे किसी absent पक्षकार [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही करने के कानूनी प्रावधान नहीं है। अत: एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से ही विधि विरूद्ध होने से set aside योग्य है। अभि० प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध जारी किये गये Ex-parte order dated 24/5/2016 की जानकारी जैसे ही प्रार्थी को वकील प्रार्थी/वादी से हुई प्रार्थी ने दिनांक 17/11/2016 को ही ex-parte order को set-aside करने का प्रा० पत्र पेश कर दिया था अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र 09 R 9 cpc स्वीकार किया जाकर प्रकरण को restore किया जावे। 2. माननीय अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वाद दिनांक 24/5/2016 को खारिज किया था और 09 R 9 cpc का प्रा० पत्र दिनांक 17/11/2016 को करीब 6 माह बाद पेश किया गया जो time barred होने और धारा-5 Limitation Act का प्रा० पत्र पेश नहीं करने से प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज किया जावे। आगे तर्क किया कि यदि court प्रार्थी के प्रा० पत्र को स्वीकार करता है तो cost पर स्वीकार करे। 3. बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण पन्नालाल बनाम बालमुकुंद वगैरा की आदेशिका दिनांक 25/2/2016 के अवलोकन [illegible] स्पष्ट है कि प्रकरण जवाब [illegible] 09/06/2016 को पेश [illegible] बीच न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड - समक्ष [illegible] में नियत करने हेतु दिनांक 16/5/24 को प्रार्थी को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अहकाम ज...
हुक्म की ता...
में जारी हु...

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की तामील किसी "विनोद" नाम के व्यक्ति को गई थी जबकि तामील प्रार्थी को किया जाना था। "विनोद" को नोटिस तामील करने का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया गया है। "विनोद" के साथ प्रार्थी का सम्बंध भी अंकित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि शिविर में उपस्थित होने हेतु नोटिस/सम्मन की तामील तय प्रक्रिया under orders Rule 9 to 20 cpc के अनुसार नहीं की गई जो कि गलत है।

4. यह भी सही है कि लोक अदालत/राजस्व शिविर/प्रशासन गांवो के संग अभियान में केवल आपसी सहमति से यानी राजीनामा योग्य प्रकरणों को ही रखा जाता है, जबकि यह प्रकरण राजीनामा योग्य नहीं था। लोक अदालत/राजस्व शिविर से अनुपस्थित पक्षकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना न्याय की मूल भावना के विरुद्ध है। राज्य सरकार के भी ऐसे कोई आदेश नहीं होते हैं। अतः वादी/प्रार्थी के विरुद्ध जारी Ex-parte/dismissal order under order 9 Rule 8 cpc विधि विरुद्ध है [illegible] न्याय को [illegible] किया protect करने [illegible] किया जाना न्यायोचित [illegible] R8 cpc में जारी

5. किसी वादी के विरुद्ध set aside of dismissal order के विरुद्ध प्रा० पत्र original order की date से 30 दिन के अन्दर ही न्यायालय के समक्ष पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

जानी चाहिए (As per Article 122 of the Limitation Act 1963) लेकिन प्रार्थी ने करीब 06 माह बाद पेश किया जो तय समय सीमा से परे है। प्रार्थी ने धारा-5 Limitation Act का प्रा० पत्र भी पेश नही किया है लेकिन प्रार्थी ने सशपथ कथन किया है कि ना तो कैम्प कोर्ट के नोटिस की तामील की गई और ना ही कैम्प कोर्ट मे वाद खारिज होने की सूचना दी गई। ना ही वकील वादी /प्रार्थी ने समय पर सूचना दी। प्रार्थी की delay केवल 05 माह की है लेकिन ऐसे order जो विधि विरुद्ध हो, न्याय की मूल भावना के विरुद्ध हो, राज्य सरकार के राजस्व शिविरों के आदेशों के प्रतिकूल हो और मेरिट (merit) पर नही होकर technical grounds पर आधारित हो - के विरुद्ध restoration application को Liberal approach के साथ निर्णीत करना चाहिए।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र 09 R9 CPC स्वीकार किया जाता है। वादी के वाद पन्नालाल (जरिए LRs) बनाम बालमुकुंद वगै० को जारी dismissial order दिनांक 24/5/2016 को set-aside किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर पर ली जाकर दर्ज रजिस्टर [illegible] जावे। पत्रावली यादि जिला [illegible] हो, तो तलबी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.01.23 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner